A 5/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
165 / प्रा0पत्र / 17	13.04.2017	11.10.2021

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

भंवरलाल आ0 हरजी जाति बैरवा निवासी अबड़ हाल निवासी वृद्धाश्रम के पास नैंनवा रोड़ बून्दी जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से–पेरोकार सरकार
अप्रार्थी की ओर से–श्री कुलदीप सिंह गौड़ एड0

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी भंवरलाल आ0 हरजी जाति बैरवा निवासी अबड तहसील हिण्डोली को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 129 रकबा 12.05 बीघा वाके ग्राम अबड़ आवंटन आदेश दिनांक 20.05.1981 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

राजकीय अभिभाषक बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी गोपाल को विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 129 रकबा 12.05 बीघा वाके ग्राम अबड़ का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 20.05.1981 को किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। आवंटित भूमि पर देवी–देवताओं की छतरियां, श्मशान एवं ग्राम खेजड़ा से अबड़ आने–जाने का रास्ता बना हुआ हैं और वर्तमान में भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही हैं। शेष भूमि पर अन्य व्यक्ति काबिजकाश्त हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) उल्लंघन किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 20.05.1981 को खारिज किया जावें।

वकील अप्रार्थी ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी भंवरलाल को आवंटन की पात्रता रखने से आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया हैं। अप्रार्थी आवंटनशुद्धा भूमि खसरा संख्या 129 रकबा 12.05 बीघा पर आवंटन से लेकर आज तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 36 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई हैं जो अवधि बाधित हैं तथा चलने योग्य नहीं हैं। आवंटी वर्तमान में गैर–खातेदार कृषक हैं जिसे आज तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

[illegible]टन नियमों में 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के निर्देश हैं। [illegible] न संशोधित नियमों के अनुसार 3 वर्ष में खातेदारी अधिकार देने की अवधारणा की [illegible]ई हैं। अतः तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर आवंटन आदेश दिनांक 20.05.1981 यथावत रखा जावें। वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016(2) पेज 756 एच.सी., आरआरटी 2011(1) पेज 353 एच.सी., आरआरटी 2016(2) पेज 769 एच.सी., आरआरटी 2017(2) पेज 972, आरआरटी 2018(1) पेज 1007 की नजीरें प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी भंवरलाल को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 20.05.1981 को आवंटन किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य व्यक्त किये गये हैं कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2071 का अवलोकन किया गया जिसमें खरीफ में तिल, ज्वार, रबी में गेहूं की फसल अंकित हैं, उक्त भूमि का कुल रकबा 12 बीघा 5 बीस्वा हैं जिसमें से खरीफ में 8 बीघा भूमि पर फसल की गई हैं और रबी में 5 बीघा भूमि पर फसल की गई हैं शेष रकबा पड़त रहा हैं। इसके अलावा अन्य संवतों की खसरा गिरदावरी प्रार्थी अथवा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवंटित रकबे पर कौनसे संवत में कौनसी फसल की गई हैं या भूमि पड़त रही हैं। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2016 से यह जाहिर आया कि आवंटित कृषि भूमि पर अलौटी भंवरलाल बैरवा का कब्जाकाश्त नहीं हैं। उक्त भूमि सार्वजनिक रूप से श्मशान, रास्ता व देवी-देवताओं के स्थान के रूप में उपयोग में ली जा रही हैं तथा शेष काबिज काश्त भूमि पर गोपालसिंह के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित हैं कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर आवंटन के समय से कब्जा काश्त नहीं रहा हैं न ही आवंटी द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तों की पालना की गई हैं। आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग में ली जा रही हैं। आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं मौके पर रास्ता, श्मशान, देवी-देवताओं के स्थान बने होने से उसे खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त नहीं किये गये हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 20.05.1981 निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)